

न्यायालय—व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—एक गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश  
पीठासीन अधिकारी— केशव सिंहव्यवहार वाद 08.ए/2012संस्थापित दिनांक 26.09.2012

1. लालाराम पुत्र हुब्बलाल आयु—68साल जाति ब्राम्हण

2. बृजमोहन पुत्र लालाराम आयु—33साल जाति

ब्राम्हण निवासीगण वार्ड क.15 बरथरा गेट गोहद

हॉल निवासी सर्वा तहसील गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

.....वादीगण

बनाम

1. श्रीमती प्रेमादेवी पत्नि लालाराम आयु—61साल

2. हरीओम पुत्र लालाराम आयु—36 साल

3. सुरेन्द्र शर्मा पुत्र लालाराम आयु—31साल

4. धर्मन्द्र पुत्र लालाराम आयु—25 साल समस्त

जाति ब्राम्हण समस्त निवासीगण वार्ड क.15

बरथरा गेट गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

5. म0प्र0 शासन द्वारा— श्रीमान कलेक्टर

महोदय जिला भिण्ड म0प्र0

..... प्रतिवादीगण

— निर्णय —(आज दिनांक 13/10/2014 को घोषित किया)

1. वादीगण ने यह वाद स्वत्व घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया है।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि वादपत्र की कॉलम नं.1 में वर्णित भूमि एवं रकवा के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है तथा उक्त भूमि पैत्रिक भूमि है जो किसी प्रकार से विवादित नहीं है।

3. वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि सर्वे कमांक 1280 रकवा 0.05, सर्वे क.1584 रकवा 0.34, सर्वे क.1585 रकवा 0.46, सर्वे क.1588 रकवा 0.31, सर्वे क.1647 रकवा 0.81, सर्वे क.1649 रकवा 0.53, सर्वे क.1650 रकवा 0.13, सर्वे क.1804 रकवा 0.13, सर्वे क.1805 रकवा 0.

63, सर्वे क.1806 रकवा 0.59, सर्वे क.1838 रकवा 0.24, सर्वे क.1871 रकवा 0.59, सर्वे क.1872 रकवा 0.13, सर्वे क.1879 रकवा 0.66, कुल किता-14 कुल रकवा 5.60 मौजा सर्वा परगना गोहद में स्थित है। इसके अलावा सर्वे क.1590 रकवा 0.48, सर्वे क.1603 रकवा 0.28, इन दोनों का सर्वे नम्बरान का रकवा 2 बीघा 05 विस्वा है। कुल रकवा 5.60 एवं रकवा 0.45 यानी 30 बीघा 05 विस्वा बांके ग्राम सर्वा परगना गोहद जिला भिण्ड में स्थित है जिसे आगे के पदों में विवादित सम्पत्ति क.1 के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। मौजा कठवा हाजी परगना गोहद, जिला भिण्ड में स्थित भूमि सर्वे कमांक 1635 रकवा 0.18, सर्वे 1637 रकवा 0.19, सर्वे क.1651 रकवा 0.33, सर्वे क.1652 रकवा 0.45, सर्वे क.1654 रकवा 0.36, सर्वे [क.1660/2](#) रकवा 0.60, सर्वे क.1700 रकवा 0.12, सर्वे क.1701 रकवा 0.98, कुल किता-8 कुल रकवा 3.21 जिसे आगे के पदों में सम्पत्ति क02 के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। वादी क01 ने प्रतिवादी क01 प्रेमादेवी के नाम से बेनामी पंजीकृत विक्रयपत्रों से भूमि कय की थी सम्पत्ति क02 के स्वयं के नाम से स्वअर्जित धन से सन् 1990 में कय की थी। वादी क01 प्रतिवादी क01 का पति है और वादी क02 एवं प्रतिवादी क02 लगायत 4 वादी क01 के प्रतिवादीगण के साथ वैयवासिक संबंध है इसलिये वादी एवं प्रतिवादीगण शामिल शरीक परिवार में रहते हैं।

4. वादीगण का वादपत्र में आगे यह भी कहना है कि वादी क01 की सम्पत्ति ग्राम रूढी के पुरा में कुल खाता 59 बीघा काथा हूबलाल के मरने के बाद उक्त भूमि उसके वारिसान लालाराम, और लालाराम की माँ सर्वावाली को मिली लालाराम ने जो वादी क01 है 19 बीघा का एक खाता 30/7/83 के बीच बेच दिया शेष बचा खाता वादी क01 एवं उसकी माँ सर्वावाली ने 30/7/83 व 19/7/84 को विक्रय कर दिया और विक्रय से प्राप्त राशि से सम्पत्ति क01 वादी क01 ने अपनी पत्नि प्रतिवादी क01 के नाम से प्रेमवश एवं वैयवासिक संबंध के कारण बेनामी खरीदी एवं अन्य सम्पत्ति ग्राम चम्हेडी में सन 1983-84 में विक्रेता रामस्वरूप पुत्र ग्यासीराम से अपने स्वयं के नाम कय की थी ग्राम चम्हेडी की उक्त सम्पत्ति को विक्रय कर सम्पत्ति क02 को वादी क01 लालाराम ने दिनांक 9/6/89 को पंजीकृत विक्रयपत्र द्वारा विक्रेता रामौतार थापक से कय की। वादी क01 एवं प्रतिवादी क01 आपस में पति पत्नि हैं उनके कुल 04 पुत्र हैं वादी ने अपने ही जीवनकाल में उसके पुत्रों के मध्य सम्पत्ति का बटवारा करना चाहा ताकि भविष्य में सम्पत्ति को लेकर विवाद न हो इसलिये अपने जीवन में ही अपने चार पुत्रों को सम्पत्ति मौखिक रूप से बांट दी जिसकी याददाश्त के लिये दिनांक 11/6/09 को पारिवारिक व्यवस्थापन की लिखा पट्टी की एवं विजय कुमार श्रीवास्तव वकील से नोटरी कराई वादी एवं प्रतिवादीगण ने सहमति जताते हुये अपने हस्ताक्षर किये थे उक्त पारिवारिक व्यवस्थापन के अनुसार प्राप्त हिस्से के अनुसार भूमि एवं मकान वादी एवं प्रतिवादीगण को मिली। वादी क01 ने यह सोचते हुये उनके पुत्रों के बीच भविष्य में सम्पत्ति को लेकर कोई झगडा न हो इसलिये अपनी सम्पत्ति पद

क08 में दर्शाये अनुसार बांट दी परन्तु प्रतिवादी क01 प्रतिवादी क02 लगायत 4 के बहकावे में आकर वादी क02 को जो वादी क01 का मजला पुत्र है को बेइमानीपूर्वक नुक्सान पहुंचाने के उद्देश्य से नायब तहसीलदार के कार्यालय में संचालित नामांकित पंजी पर आपत्ति की और पारिवारिक व्यवस्थापन को नहीं माना।

5. वादीगण का वादपत्र में आगे यह भी कहना है कि वादी क01 जो कि समस्त सम्पत्ति का एक मात्र स्वामी है उसके समझाने पर भी प्रतिवादी क01 नहीं मानी और कहने लगी अपने नाम वाली सम्पत्ति क01 नहीं बाटेगी और संपूर्ण पारिवारिक व्यवस्थापन को मानने से इंकार कर रही है जबकि वह सम्पत्ति क01 की वास्तविक स्वामी है उक्त सम्पत्ति वादी क01 ने अपने वैशवासिक संबंध के कारण कय की थी। उसके द्वारा सम्पत्ति क01 कय करने हेतु विक्रीत धन दिया गया था। प्रतिवादी क01 बदयातीपूर्वक सम्पत्ति क01 को वादपत्र के पद क08 में बताये गये घरू बटवारे के अनुसार नामान्तरण नहीं होने दिया एवं आपत्ति प्रस्तुत की अब प्रतिवादी क01 उक्त सम्पत्ति को अन्य व्यक्ति को बेचने पर अमादा है। इसलिये वादीगण की ओर से यह वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अतः वादीगण सहायता चाहते हैं कि वादपत्र के पद क01 व 2 में दर्शित वादग्रस्त सम्पत्ति क01 व 2 का वादी क01 भूमि स्वामी होकर आधिपत्यधारी है एवं दिनांक 26/8/84 को वादी क01 ने वैशवासिक संबंध के कारण प्रतिवादी क01 के नाम कय की गई सम्पत्ति का वादी क01 मालिक व स्वामी है।

6. प्रतिवादी क02 हरीओम की ओर से वादपत्र का जबाव प्रस्तुत कर यह अभिवचन किया है कि वादपत्र की कॉलम नं.2 में वर्णित भूमि पैत्रिक भूमि थी जो बटवारे में प्रतिवादी क02 हरीओम को प्राप्त हुई है और उसने अधिक धन खर्च कर भूमि को समतल एवं उपजाऊ बनाया है जिसका हरीओम एकांकी भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी होकर काविज है। मौजा कठवा हाजी में स्थित भूमि पैत्रिक भूमि है तथा मौजा सर्वा में स्थित भूमि भी पैत्रिक भूमि को विक्रीत कर उससे प्राप्त प्रतिफल से कय की गई भूमि है। विवादित भूमि स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं है वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक परिवार के सदस्य जरूर हैं लेकिन शामिल शरीक निवास नहीं करते हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच दिनांक 11/6/09 को बटवारा हो चुका है और बटवारा अनुसार पृथक-पृथक निवास व खेती कर रहे हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य दिनांक 11/6/09 को बंटवारा हुआ था जिसकी विधिवत लिखा पढी हुई थी फोटो भी चस्पाकिये गये थे और नोटरी से पंजीकृत कराया गया था तथा बटवारा दिनांक 11/6/09 के आधार पर प्रतिवादी क02 ने अपने नाम का इन्द्राज राजस्व कागजात मे कराया है और उक्त भूमि पर प्रतिवादी क02 एकांकी रूप से बहैसियत भूमि स्वामी व काविज है। प्रतिवादी क02 के द्वारा सम्पत्ति को विक्रीत करने की कभी कोई धौस नही दी गई वह अपने हिस्से की भूमि पर काविज होकर

खेती कर रहा है। वादीगण ने दावा बाजार कीमत अनुसार निर्धारित नहीं किया है और न ही मालियत कायम की है। दिनांक 11/6/09 का बटवारा वादीगण पर एवं प्रतिवादीगण पर प्रभावी होकर बंधनकारी है यदि उक्त बटवारा को न्यायालय द्वारा निष्प्रभावी घोषित किया जाता है तो प्रतिवादी क02 हरीओम,को समस्त कृषि भूमि एवं मकानात में से 1/5 हिस्सा प्राप्त करने का हकदारी होगा। प्रतिवादी क02 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि एवं मकान वादीगण का कोई संबंध सरोकार नहीं है इसलिये वादीगण का वाद सव्यय निरस्त किया जावे।

7. प्रकरण मे वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब दावे के आधार पर निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गई जिनके समक्ष मेरे निष्कर्ष अंकित है:-

#### वाद प्रश्न

#### निष्कर्ष

1. क्या वादी वादग्रस्त भूमि को वादी क.1 ने अपनी स्वयं की भूमि विक्रय कर अपनी पत्नि प्रतिवादी क.1 के नाम में बेनामी कय की थी?
2. क्या वादी क.1 व प्रतिवादी क.1 लगायत 4 के मध्य पारिवारिक संबंध होकर शामिल शरीक निवास करते है?
3. क्या वादी क.1 के द्वारा अपने चारो पुत्रों के मध्य पारिवारिक बंटवारा दिनांक 11/6/09 को कर विधिवत नोटरी कराई थी जिस पर वादी एवं प्रतिवादी -गण के सहमति के हस्ताक्षर है?
4. क्या वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुये बंटवारे के आधार पर वादपत्र की कंडिका-8 के अनुसार सम्पत्ति प्राप्त हुई ?
5. क्या वादी क.1 ने अपने नाम की सम्पत्ति कंडिका-8 के अनुसार बराबर बांट ली लेकिन प्रतिवादी क.1 ने प्रतिवादी क.2 लगायत 4 के बहकावे में आकर अपने नाम की सम्पत्ति को बांटने से इंकार कर दिया है?
6. सहायता एवं वाद व्यय?

#### सकारण निष्कर्ष

8. प्रकरण में वादी की ओर से अपने पक्ष समर्थन में लालाराम वा0सा01, रामकुमार वा0सा02, नरेन्द्र मिश्रा वा0सा03, वीरेन्द्र वा0सा04, को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है जबकि प्रतिवादीगण

की ओर से हरीओम प्र0सा01, सुनील शर्मा प्र0सा02 को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराये गये है।

### वादप्रश्न कमांक 1 निष्कर्ष के आधार

9. विचारणीय वाद विषय को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर है जिसके संबंध में लालाराम वा0सा01 ने शपथपत्रीय साक्ष्य पर यह कथन दिया है कि वादपत्र के कॉलम नं.1 में वर्णित भूमि 30 बीघा 05 विस्वा स्थित है ग्राम सर्वा परगना गोहद में स्थित है एवं ग्राम कठवाहॉजी में 16 बीघा 01 विस्वा है जिसे वादी क01 ने अपनी पैत्रिक सम्पत्ति ग्राम भूरे पुरा की जमीन बेचकर कय किया था एवं ग्राम सर्वा स्थित कृषि भूमि वादी क01 स्नेहवश अपनी पत्नि प्रतिवादी क01 के नाम तथा कठवाहॉजी की स्थित कृषि भूमि अपनी स्वयं के नाम से कय की थी वादी क01 व प्रतिवादी क02 लगायत 04 वादी के पुत्र है जो शामिल शरीक परिवार में रहते हैं।

10. वादी ने अपने पक्ष समर्थन में खसरा प्र0पी01, प्र0पी02, खतौनी प्र0पी03, खसरा प्र0पी04, किश्तबंदी खतौनी प्र0पी05, खसरा प्र0पी06, 7, खतौरी प्र0पी08, गुरुदेव सिंह द्वारा किया गया विक्रयपत्र प्र0पी09, धर्म सिंह, गुरुदेव सिंह, गुरुवक्स सिंह, चैन सिंह व ज्ञान सिंह द्वारा किया गया विक्रयपत्र प्र0पी010, चैन सिंह द्वारा किया गया विक्रयपत्र प्र0पी011, धर्म सिंह द्वारा किया गया विक्रयपत्र प्र0पी012, सर्वावाली द्वारा किया गया विक्रयपत्र प्र0पी013, लालाराम द्वारा किया गया विक्रयपत्र प्र0पी014, लालाराम द्वारा छिददी के हक में किया गया विक्रयपत्र प्र0पी015, लालाराम ने रामरतन के हक में किया गया विक्रयपत्र प्र0पी016, व दिनांक 19/8/84 को किया गया विक्रयपत्र प्र0पी017, बटवारा प्र0पी018, व न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी019, नोटिस रसीद प्र0पी020, के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से दर्शित होता है कि लालाराम ने स्वयं की भूमि विक्रय कर अपनी पत्नि प्रेमादेवी के नाम भूमि कय की है।

11. प्रकरण में प्रेमादेवी के भाई राजकुमार वा0सा02 ने शपथपत्रीय साक्ष्य पर यह कथन दिया है कि प्रतिवादी क01 उसकी बहन है और वादी क02 लगायत 04 उसके भांजे हैं उसकी बहन की शादी 45 साल पूर्व हुई थी शादी में कोई दान-दहेज नहीं दिया गया था उसने प्रतिवादी क01 के अलावा दो ओर बहने भी है उन्हें भी उसके माता पिता ने कभी कोई जमीन व जमीन खरीदकर नहीं दी है प्रतिवादी क01 लालाराम ने रूरी का पुरा से जमीन बेचकर कठवाहॉजी व सर्वा की जमीन कय की है।

12. वीरेन्द्र सिंह वा0सा04 ने शपथपत्रीय साक्ष्य पर यह कथन दिया है कि लालाराम ने अपनी पैत्रिक जमीन स्थित ग्राम रूरी का पुरा की जमीन विक्रय कर उससे प्राप्त रुपये से करीब 28 साल पूर्व उसने ग्राम सर्वा में 30 बीघा जमीन खरीदी थी और कठवाहॉजी में अपने नाम से 16

बीघा जमीन खरीदी थी। यह भूमि उसकी पत्नि प्रेमादेवी के नाम से रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के माध्यम से कराई थी विक्रयपत्र प्र0पी09लगायत12 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं ।

13. दुर्ग सिंह वा0सा05 ने शपथपत्रीय साक्ष्य पर यह कथन दिया हैकि सन 1984 में उसके गांव सर्वा में करीब 30 बीघा भूमि लालाराम ने अपनी पैत्रिक जमीन ग्राम रुरी का पुरा का विक्रय कर कय की थी तथा अपने नाम से कठवाहॉजी में 10 बीघा भूमि कय की थी जिसकी लिखा पढी उसके सामने हुई थी जिसका विक्रयपत्र 09 लगायत 12 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं ।

14. प्रतिवादी साक्षी हरीओम प्र0सा01 के द्वारा भी प्रतिपरीक्षण की कंडिका-7 में यह स्वीकार किया हैकि उसके पिता ने पूर्वज की जमीन बेचकर उस पर से कठवाहॉजी की जमीन खरीदी थी तथा सर्वा की जमीन भी पैत्रिक भूमि विक्रय कर खरीदी थी इस तरह वादी एवं प्रतिवादी साक्षियों के कथनों से यह स्पष्ट होता हैकि वादी लालाराम ने अपनी पैत्रिक सम्पत्ति विक्रय कर उसकी आय से अपनी पत्नि के नाम से बेनामी भूमि कय की थी क्योंकि बेनामी सम्व्यवहार प्रतिषेध अधिनियम 1988 के प्रावधानों पर विचारकिया जाये तो वादी का बेनामी सम्व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत भी प्रचलन योग्य नहीं है लेकिन प्रस्तुत वाद पति पत्नि के बीच का है तथा वैश्वाशिक संबंध का है तथा अधिनियम की धारा (4) के परन्तुक में व्यक्त किया गया हैकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय मत ठाकुर भीम सिंह विरुद्ध ठाकुर कर्ण सिंह 1980 भाग 3 एस0एस0टी0 पृष्ठाकंन 72 में व्यक्त किया है कि सम्व्यवहार के सही चरित्र को जानने के लिये जिस व्यक्ति ने कय करने में भुगतान दिया उसका पर विचार किया जाये तथा उसका आशय सामर्थ्यकारी,परिस्थितियों, पक्षकारों, के नातेदारी संबंधी एवं सम्व्यवहार किये जाने के मोटिव सहित पक्षकारों के संपूर्ण वाद आचरण को विचार में लिया जाता है इसलिये बेनामी सम्व्यवहार बेनामी,बेनामी सम्व्यवहार 1988 के प्रावधानों से प्रतिपादित नहीं होता है।

15. प्रकरण में प्रतिवादी क01 अनुपस्थित है और प्रतिवादी क01 द्वारा अपने नाम की कृषि भूमि के संबंध में इस आशय की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है वादी क01 द्वारा उसके पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रयपत्र नहीं कराया गया है प्रतिवादी क01 घरेलू कामकाज महिला है उस पर आय के कोई श्रोत नहीं है इसलिये प्रथम दृष्टया यह नहीं माना जा सकता कि प्रतिवादी क01 प्रेमाबाई ने स्वयं की आय से भूमि कय की है । प्रथम दृष्टया यह माना जा सकता हैकि वादी लालाराम ने अपनी पैत्रिक भूमि को विक्रय कर उससे प्राप्त आय से प्रतिवादी क01 के नाम भूमि कय की है इसलिये वादी क01 उस भूमि का मालिक व स्वामी है । अतःविचारणयी वाद विषय का निराकरण वादी के पक्ष में सकारात्मक रूप से किया जा रहा है।

वादप्रश्न कमांक 02 निष्कर्ष के आधार

16. विचारणीय वाद विषय को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर है जिसके संबंध में लालाराम वा0सा01 ने शपथपत्रीय साक्ष्य पर यह कथन दिया है कि प्रतिवादी क01 उसकी पत्नि व प्रतिवादी क02 लगायत 4 उसके पुत्र है जो शामिल शरीक उसके परिवार में रहते हैं । साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-10 में यह स्वीकार किया है कि वर्तमान में वह इकट्ठे निवास नहीं करते हैं सभी लडकों के साथ पहले इकट्ठे रहते थे अब उसके चारो लडके अलग-अलग रहते हैं और पत्नि भी अलग रहती है । इस तरह इस साक्षी के कथनों से ही इस तथ्य का खण्डन हो जाता है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण शामिल शरीक निवास नहीं करते हैं । अतः विचारणीय वाद विषय का निराकरण वादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से किया जा रहा है ।

वादप्रश्न कमांक 3 निष्कर्ष के आधार

17. विचारणीय वाद विषय को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर है जिसके संबंध में लालाराम वा0सा01 ने शपथपत्रीय साक्ष्य पर यह कथन दिया है कि वादी क01 ने अपने जीवनकाल में अपने पुत्र के मध्य सम्पत्ति का बटवारा कराया था ताकि भविष्य में सम्पत्ति को लेकर विवाद न हो इसलिये वादी ने चारो पुत्रों को सम्पत्ति का मौखिक बटवारा कर दिया और याददाश्त के लिये दिनांक 11/6/09 को पारिवारिक व्यवस्थापन की लिखा-पढी कराई थी और विजय कुमार श्रीवास्तव के यहां नोटरी भी कराई थी जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण ने सहमति जताते हुये अपने-अपने हस्ताक्षर किये थे तथा पारिवारिक व्यवस्थापन के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण को जो भूमि एवं मकान प्राप्त हुई थी उसकी लिखा पढी लिखतम बटवारा प्र0पी018 में किया गया है । प्र0पी018 का अवलोकन करे जिसके अवलोकन से यह पाया जाता है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के सहमति के हस्ताक्षर हैं व फोटो भी चस्पा है ।

18. प्रकरण में नरेन्द्र मिश्रा वा0सा03 ने शपथपत्रीय साक्ष्य पर यह कथन दिया है कि पारिवारिक व्यवस्थापन की लिखा पढी उसके सामने हुई थी सभी लोगों ने अपने-अपने फोटों लगाये थे और हस्ताक्षर किये थे नोटरी विजय कुमार श्रीवास्तव एड0 के यहां हुई थी नोटरी पर उसने व सुनील भट्टेले ने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किये थे विजय कुमार श्रीवास्तव वा0सा06 ने यह कथन दिया है कि वर्ष 2009 में एड0 का कार्य करता था दिनांक 11/06/09 को उसके पास लालाराम,प्रेमादेवी पक्षकार क01 तथा हरीओम,सुरेन्द्र,धर्मेन्द्र,पक्षकार क02 लिखतम अनुबंधपत्र को लेकर नोटरी कराने आये थे उसने पक्षकारों से पूछताछ के बाद संतुष्ट होने पर रजिस्टर में 59/9 दिनांक 11/6/09 पर अनुबंधपत्र बटवारा दर्ज किया था दोनो पक्षकारो ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये थे तथा रजिस्टर मे भी अपने हस्ताक्षर किये थे बटवारा अनुबंधपत्र पर साक्षी सुनील भट्टेले, व नरेन्द्र मिश्रा ने अपने हस्ताक्षर किये थे । अनुबंधपत्र प्र0पी018 है जिसका नोटराइज्ड



किया है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है । प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी के कथन पूर्णतः अखण्डित रहे है उक्त साक्षी के कथनो से यह प्रमाणित होता हैकि वादी क01 के द्वारा अपने चारो पुत्रों के मध्य पारिवारिक व्यवस्थापन किया था जो दिनांक 11/6/09 को विधिवत नोटरी कराई थी जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर है उक्त साक्षी के कथनों से यह तथ्य प्रमाणित होता हैकि वादी क01 ने अपने चारो पुत्र के मध्य पारिवारिक बटवारा दिनांक 11/6/09 को कर उसका विधिवत नोटरी कराई थी व वादी एवं प्रतिवादीगण के सहमति के हस्ताक्षर थे । अतः विचारणीय वाद विषय का निराकरण वादीगण के पक्ष में सकारात्मक रूप से किया जाता है।

#### वादप्रश्न कमांक 4 निष्कर्ष के आधार

19. विचारणीय वाद विषय को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर है जिसके संबंध में लालाराम वा0सा01 ने शपथपत्रीय साक्ष्य पर यह कथन दिया हैकि पारिवारिक व्यवस्थापन अनुसार उसके भूमि एवं मकान का विधिवत बटवारा किया था जिसमें प्रतिवादी क01 के हिस्से में ग्राम सर्वा पट्टे की भूमि 04 बीघा 14 विस्वा व गोहद वार्ड क.15 में स्थित मकान में उपर दो कमरे व एक नीचे का तलघर प्राप्त हुआ था प्रतिवादी क02 हरीओम को कठवाहॉजी की कृषि भूमि 10 बीघा 01 विस्वा एवं गोहद स्थित का मकान 37 फीट लम्बा व 15 फीट 05 इंच चौड़ा मकान के आगे दुकान जिसमें 1/2 भाग प्रतिवादी क02 का 1/2 भाग वादी क02 का था जो वादी क02 ने प्रतिवादी के नाम से कर दिया है । वादी क02 ब्रजमोहन को सर्वा ग्राम में स्थित भूमि 1/2 भाग प्राप्त हुआ है प्रतिवादी क03 सुरेन्द्र सिंह को गोहद स्थित मकान व दुकान प्राप्त हुई है जिसका बटवारे में उल्लेख है । प्रतिवादी धर्मेन्द्र को ग्राम सर्वा भूमि स्थित जो वादपत्र की कॉलम नं.1 में वर्णित है 1/2 भाग प्राप्त हुआ है तथा प्रतिवादी ने कठवाहॉजी की जमीन पर राजस्व अभिलेख में अपने नाम का भी इन्द्राज कराया था। इस साक्षी के कथनो का समर्थन नरेन्द्र मिश्रा वा0सा03 के द्वारा भी किया गया है।

20. प्रतिवादी साक्षी हरीओम प्र0सा01 के द्वारा भी दिनांक 11/6/09 को हुये बटवारे का समर्थन करते हुये शपथपत्रीय साक्ष्य पर यह कथन दिया हैकि बटवारे में कठवाहॉजी की जमीन एवं गोहद में स्थित मान व दुकान उसे प्राप्त हुई है उपरोक्त बटवारा स्वेच्छापूर्वक दिनांक 11/6/09 को हुआ है जिसमें घरू बटवारा सम्पादित किया गया था तथा सहमत होकर सभी परिवार—जन्य द्वारा हस्ताक्षर किये गये है और बटवारे अनुसार प्राप्त भूमि पर वह काविज होकर पृथक खेती कर रहे है और प्रतिवादीगण पृथक—पृथक निवास कर घरू बटवारे के अनुसार प्राप्त भूमि पर पृथक—पृथक खेती कर रहे है। वादी एवं प्रतिवादी की ओर से आई साय के आधार पर यह तथ्य प्रमाणित हैकि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुये बटवारे के आधार पर प्रतिवादी क02 हरीओम काश्त कर रहा है।



वादप्रश्न कमांक 5 निष्कर्ष के आधार

21. विचारणीय वाद विषय को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर है जिसके संबंध में शपथपत्रीय साक्ष्य पर यह कथन दिया है कि पारिवारिक व्यवस्थापन के आधार पर उसने आपस में बटवारा कर दिया है किन्तु प्रतिवादी क01 लगायत 4 उस बटवारे का लेकर तैयार नहीं है इसलिये उसने यह दावा भी पेश किया है चूंकि प्रतिवादी क02 ने न्यायालय में उपस्थित होकर शपथपत्रीय साक्ष्य पर यह कथन दिया है कि घरू बटवारा दिनांक 11/6/09 के अनुसार उसने भूमि व मकान प्राप्त किया है और बटवारा अनुसार प्राप्त भूमि व मकान पर काविज होकर काश्त कर रहे है अन्य प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं है। प्रतिवादी क01 प्रेमादेवी केनाम पर रजिस्टर्ड विक्रयपत्र है जो न्यायालय में उपस्थित नहीं है इसलिये उसके संबंध में यह अनुमान लगाया जाना मुश्किल है कि उसके द्वारा सम्पत्ति का बटवारा किये जाने से इंकार किया है अथवा सहमति दी है। जबकि प्रतिवादी क02 हरीओम प्राप्त सम्पत्ति के अनुसार ही बटवारा को तत्पर है ऐसी स्थिति में वादीगण का यह तर्क कि प्रतिवादी क02 लगायत 4 बटवारा अनुसार सम्पत्ति प्राप्त नहीं करना चाहता है। अतः विचारणीय वाद विषय का निराकरण वादीगण के विरुद्ध नकारात्मक रूप से किया जा रहा है।

वादप्रश्न कमांक 6 सहायता एवं वाद व्यय

22. प्रकरण में भिन्न-भिन्न चरणों में की गई विवेचना एवं न्यायालीन अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर वादीगण अपने वाद को प्रमाणित करने में आंशिक रूप से सफल रहा है। अतः वाद आंशिक रूप से डिक्री किया जाता है तथा इस आशय की अज्ञाप्ति जारी की जाती है कि:-

1. वादपत्र के पद क01 व 2 में दर्शित वादग्रस्त सम्पत्ति क.1 व 2 का वादी क01 भूमि स्वामी होकर आधिपत्यधारी है।
2. दिनांक 16/8/84 को वादी क01 ने वैश्वाशिक संबंध के कारण प्रतिवादी क01 के नाम से भूमि कय की थी जिसका वास्तविक मालिक वादी क01 है।
3. वाद का व्यय वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपना-अपना बहन करेगे।
4. अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने की दशा में अथवा तालिका अनुसार जो भी न्यून हो देय होगी।  
तदनुसार जयपत्र की रचना की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व

दिनांकित कर घोषित किया गया।

हस्ता/सही

व्य0न्या0वर्ग-1 गोहद,

मेरे निर्देश पर टाईप किया

हस्ता/सही

व्य0न्या0वर्ग-1 गोहद,

